शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-01/2017/बी-2-81/दस-2017-आर-2/2016

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 जनवरी, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-2017 के तृतीय त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-टी.एम.-II/ग्रुप-4/लेखामिलान/एफ.-18/78146, दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह अक्टूबर, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 13 फरवरी, 2017 से 17 मार्च, 2017 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2016-2017 के द्वितीय त्रैमास (माह अक्टूबर, 2016 से सितम्बर, 2016) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखा मिलान दल, लेखा मिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षों के व्यय के आंकड़ों का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगें।

...../2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य **दिनांक 17-03-2017** को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संख्या-01/2017/बी-2-81(1)/दस-2017-आर-2/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र संख्या टी.एम.-II/ग्रुप-4/लेखामिलान/एफ.-18/78146, दिनांक 10 जनवरी, 2017 के संदर्भ में ।
2. उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)- प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

...../3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-01/2017/बी-2-81/दस-2017-आर-2/2016, दिनांक 25 जनवरी, 2017

वित्तीय वर्ष 2016-2017 से सम्बन्धित माह अक्टूबर, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1.	आबकारी	13.02.2017
2.	आवास	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/ खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4.	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5.	ऊर्जा	
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	14.02.2017
7.	रेशम विभाग	
8.	कृषि विभाग	
9.	परती भूमि विकास	
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	16.02.2017
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघु सिंचाई	
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	17.02.2017
17.	पंचायती राज विभाग	
18.	पशुधन	
19.	दुग्ध विकास	
20.	मत्स्य	20.02.2017
21.	सहकारिता	
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति	
23.	खाद्य एवं रसद	
24.	खेल एवं युवा कल्याण	21.02.2017
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	
26.	गृह (कारागार)	
27.	गृह (पुलिस)	
28.	नागरिक सुरक्षा	22.02.2017
29.	राजनीतिक पेंशन	
30.	गृह (गोपन)	
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
32.	परिवार कल्याण विभाग	28.02.2017
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35.	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	
37.	नगर विकास	01.03.2017
38.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	
39.	नागरिक उड्डयन	
40.	भाषा	
41.	नियोजन	
42.	निर्वाचन	
43.	न्याय	02.03.2017
44.	परिवहन	
45.	पर्यटन	
46.	पर्यावरण	
47.	प्रशासनिक सुधार	
48.	वित्त विभाग	
49.	अल्प संख्यक कल्याण	03.03.2017
50.	महिला एवं बाल विकास	
51.	राजस्व	
52.	सहायता एवं पुर्नवास	
53.	राष्ट्रीय एकीकरण	
54.	लोक निर्माण	06.03.2017
55.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56.	वन	
57.	प्राविधिक शिक्षा	
58.	विधान परिषद सचिवालय	
59.	विधान सभा सचिवालय	07.03.2017
60.	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	
62.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63.	बेसिक शिक्षा	
64.	माध्यमिक शिक्षा	09.03.2017
65.	उच्च शिक्षा	
66.	श्रम	
67.	सचिवालय प्रशासन	
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
69.	विकलांग कल्याण	10.03.2017
70.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71.	समाज कल्याण	
72.	जनजाति कल्याण	
73.	सतर्कता विभाग	14.03.2017
74.	सामान्य प्रशासन	
75.	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76.	सार्वजनिक उद्यम	
77.	सूचना	15.03.2017
78.	सैनिक कल्याण	
79.	संस्थागत वित्त	
80.	स्टाम्प एवं पंजीयन	
81.	मनोरंजन कर	16.03.2017
82.	व्यापार कर	
83.	सांस्कृतिक कार्य	
84.	सिंचाई	
	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	17.03.2017

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।